



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082023-247862
CG-DL-E-04082023-247862

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]
No. 461]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2023/श्रावण 13, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2023/SHRAVANA 13, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2023

सं. 36/2023-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 588(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक को अधिसूचित करती है जिससे ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है जो उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थात:-

- इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की किसी अंतर-राज्यीय पूर्ति को अनुज्ञात नहीं करेगा ;
- इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करेगा और उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार सरकार को संदाय करेगा ; और

- (iii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप **जीएसटीआर-8** में विवरण के रूप में प्रस्तुत करेगा।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2023

No. 36/2023- Central Tax

G.S.R. 588(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 as the class of persons who shall follow the following special procedure in respect of supply of goods made through it by the persons paying tax under section 10 of the said Act (hereinafter referred to as the said person), namely: —

- (i) the electronic commerce operator shall not allow any inter-State supply of goods through it by the said person;
- (ii) the electronic commerce operator shall collect tax at source under sub-section (1) of section 52 of the said Act in respect of supply of goods made through it by the said person and pay to the Government as per provisions of sub-section (3) of section 52 of the said Act; and
- (iii) the electronic commerce operator shall furnish the details of supplies of goods made through it by the said person in the statement in **FORM GSTR-8** electronically on the common portal.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2023

सं. 37/2023-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 589(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को अधिसूचित करती है जिससे ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि.577 (अ) तारीख 31 जुलाई, 2023 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 34/2023-केन्द्रीय कर, तारीख 31 जुलाई, 2023 द्वारा धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसरण में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थात:-

- (i) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति को केवल तभी अनुज्ञात करेगा, यदि उक्त व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर नामांकन संख्या का आबंटन किया गया है;

- (ii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की किसी अंतर-राज्यिक पूर्ति को अनुज्ञात नहीं करेगा ;
- (iii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के संबंध में धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण नहीं करेगा ; और
- (iv) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के व्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप **जीएसटीआर-8** में विवरण के रूप में प्रस्तुत करेगा ।

2. जहां इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक प्लेटफार्म के माध्यम से मालों की एकल पूर्ति में बहु इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक अंतर्वर्तित है, " इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक " से ऐसा इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक अभिप्रेत होगा जो अंतिम रूप से उक्त व्यक्ति को उसके माध्यम से उक्त व्यक्ति द्वारा की गई उक्त पूर्ति के लिए संदाय जारी करेगा ।

3. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2023

No. 37/2023- Central Tax

G.S.R. 589(E).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 as the class of persons who shall follow the following special procedure in respect of supply of goods made through it by the persons exempted from obtaining registration (hereinafter referred to as the said person) in accordance with the notification issued under sub-section (2) of section 23 vide notification number 34/2023- Central Tax, dated the 31st July, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 577(E), dated the 31st July, 2023, namely: —

- (i) the electronic commerce operator shall allow the supply of goods through it by the said person only if enrolment number has been allotted on the common portal to the said person;
- (ii) the electronic commerce operator shall not allow any inter-State supply of goods through it by the said person;
- (iii) the electronic commerce operator shall not collect tax at source under sub-section (1) of section 52 in respect of supply of goods made through it by the said person; and
- (iv) the electronic commerce operator shall furnish the details of supplies of goods made through it by the said person in the statement in **FORM GSTR-8** electronically on the common portal.

2. Where multiple electronic commerce operators are involved in a single supply of goods through electronic commerce operator platform, "the electronic commerce operator" shall mean the electronic commerce operator who finally releases the payment to the said person for the said supply made by the said person through him.

3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2023

सं. 38/2023-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 590(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने से लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 के उपनियम(1) के परन्तुक में वृहत पंक्ति में "उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में" शब्दों का लोप किया जाएगा।
3. उक्त नियमों के नियम 10क में "किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में सामान्य पोर्टल पर" शब्दों और अंकों से शुरु होने वाले भाग और "कोई अन्य ऐसी जानकारी देगा, जिसकी अपेक्षा की जाए, देगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

" रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से तीस दिन की अवधि की भीतर, या प्ररूप जीएसटीआर-1 में धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने से पहले, जो भी पूर्वतर हो सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते के ब्यौरे के संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा"।

4. उक्त नियमों के नियम 21क में,-

(i) उपनियम (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्;

"(2क) जहां-

(क) धारा 39 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों की तुलना प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे या उसके आपूर्तिकर्ता के द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे के आधार पर निष्कर्षित जावक प्रदायों के ब्यौरे, या ऐसे अन्य विश्लेषण, जो परिषद की सिफारिशों पर किए जा सकेंगे, करने पर यह पता चलता हो कि ऐसी महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे उक्त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो, या

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियम 10क के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है,

ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को उक्त अंतर और विसंगतियों या अननुपालनों को दर्शाते हुए, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में या रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई-मेल पते, या समय-समय पर संशोधित पते पर इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उसे तीस दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए!";

- (ii) उपनियम(4) में दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि जहां नियम 10क के उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (2क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण को निलंबित किया गया है और नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को पहले से ही रद्द नहीं किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को नियम 10क के उपबंधों के अनुपालन में प्रतिसंहरण किया हुआ माना जाएगा।"।

5. उक्त नियमों के नियम 23 के उपनियम(1) में, तारीख 01 अक्टूबर, 2023 से-

(क) "रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामिल की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामिल की तारीख से नब्बे दिवस की अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) पहले परंतुक में, "परन्तु" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् ;

" परन्तु ऐसी अवधि का पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जो यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की रैंक से नीचे का न हो, एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की किसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी:

परन्तु यह और कि";

(ग) दूसरे परन्तुक में, "परन्तु यह और" शब्दों के स्थान पर "परन्तु यह भी" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"25. कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन-

(1) जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है, तो वह कारबार के स्थान का सत्यापन कराएगा और फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को, ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पंद्रह कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(2) जहां नियम 9 के उपनियम (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है, तो समुचित अधिकारी कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कराएगा और फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को उक्त परंतुक में विनिर्दिष्ट समयावधि के पूर्ण होने से कम से कम पांच कार्य दिवस पूर्व प्ररूप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।"

7. उक्त नियमों के नियम 43 में, उपनियम (5) के पश्चात-

(क) स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण 3:- नियम 42 और इस नियम के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 8 के उप-पैरा (क) में उल्लिखित ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिन्हें अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन छूट प्राप्त आपूर्तियों के मूल्य में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, का मूल्य अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तनों में आने वाले यात्रियों के लिए पहुंच टर्मिनल पर शुल्क रहित दुकानों से मालों की आपूर्ति का मूल्य होगा।"

(8) उक्त नियमों के नियम 46 खंड (च) के परंतुक में, "प्राप्तकर्ता का नाम और पता के साथ उसका पिन कोड और राज्य के नाम शामिल करना होगा और उक्त पते को प्राप्तकर्ता के रिकॉर्ड पर पता समझा जाएगा" शब्दों के स्थान पर "प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम और इसे प्राप्तकर्ता के अभिलेख में पते के रूप में समझा जाएगा" शब्द रखे जाएंगे;

9. उक्त नियमों के नियम 69 के उपनियम (6) के खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ङ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे किसी कर अवधि या अवधियों के संबंध में नियम 88घ के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन सामान्य पोर्टल पर कोई इत्तला जारी की गई है, को प्ररूप जीएसटी-1 में धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के व्यौरों प्रस्तुत करने या किसी पश्चातवर्ती कर अवधि के लिए

बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह या तो उक्त इत्तला में यथा विनिर्दिष्ट अधिक इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य रकम को संदत्त नहीं करता है या नियम 88घ के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित अधिक इनपुट कर प्रत्यय की रकम जिसका संदाय किया जाना अभी शेष है, के संबंध में कारणों को स्पष्ट करते हुए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं करता है;

(च) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी-1 में धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसने नियम 10क के उपबन्धों के अनुसार बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।"

10. उक्त नियमों के नियम 64 में, 01 अक्टूबर 2023 से "भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "भारत से बाहर किसी स्थान से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियमों के नियम 67 के उपनियम (2) में, 01 अक्टूबर, 2023 से "उपनियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर "उपनियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर एकत्र कर के ब्यौरे" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

12. उक्त नियमों के नियम 88ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"88घ. इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाले स्वजनित विवरण में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय और जो विवरणी में उपलब्ध है, में भिन्नता से ब्यौहार करने की रीति.-

(1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत कर अवधि या अवधियों के लिए विवरणी में उसके द्वारा उपलभ्य इनपुट कर प्रत्यय की रकम, उक्त कर अवधि या अवधियों की बाबत प्ररूप जीएसटीआर 2ख में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाले स्वजनित विवरण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को उपलभ्य इनपुट कर प्रत्यय, यथास्थिति, ऐसी रकम या ऐसे प्रतिशत जो परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, से अधिक है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग क में ऐसी भिन्नता की सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना की एक प्रति उसे उक्त भिन्नता दर्शित करते हुए और-

(क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त प्ररूप जीएसटीआर-3ग में उपलभ्य इनपुट कर प्रत्यय के आधिक्य में समतुल्य रकम को सात दिन की अवधि के भीतर संदत्त करेगा, या

(ख) सामान्य पोर्टल इनपुट कर प्रत्यय में उपरोक्त भिन्नता के लिए कारण वर्णित करने, का निदेश देते हुए सात दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के समय प्रदान किए गए या समय-समय पर यथा संशोधित उसके ई-मेल पते पर भी सात दिन की अवधि के भीतर भेजी जाएगी।

(2) उपनियम (1) में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उपनियम में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, या तो,

(क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज की रकम के साथ पूर्णतः या भागतः प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग क में यथा विनिर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय के आधिक्य के समतुल्य रकम उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त करेगा और उसके ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग ख में प्रस्तुत करेगा, या

(ख) इनपुट कर प्रत्यय के आधिक्य की रकम जो अभी तक संदत्त किए जाने के लिए शेष है, यदि कोई हो, की बाबत कारण सम्मिलित करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग ख में इलैक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा।

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट कोई रकम, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त किए जाने से शेष रह जाती है और ऐसी चूक के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या कारण समुचित अधिकारी द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है, तो उक्त रकम, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार मांग के लिए दायी होगी।”।

13. उक्त नियमों के नियम 89 में,-

(क) उपनियम (1) के तीसरे परंतुक में “उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अंतिम विवरणी में” शब्दों के स्थान पर “इस प्रकार प्रस्तुत की गई उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित अंतिम विवरणी में” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (2) के खंड (ट) में “ऐसा कथन जो कर” शब्दों के स्थान पर “ऐसा कथन जो कर और ब्याज, यदि कोई हो, या संदत्त की गई किसी अन्य रकम” शब्द रखे जाएंगे।”

14. उक्त नियमों में नियम 94 को 1 अक्तूबर, 2023 से उपनियम (1) के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुर्नसंख्यांकित उपनियम के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) निम्नलिखित अवधियां, उपनियम (1) के अधीन देरी की अवधि में सम्मिलित नहीं की जाएगी, अर्थात्:-

(क) नियम 92 के उपनियम (3) के अधीन प्ररूप जीएसटी आरएफडी- 08 में सूचना की प्राप्ति से पंद्रह दिवस से आगे की कोई समय अवधि, जो आवेदक-

(i) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-09 का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने, या

(ii) अतिरिक्त दस्तावेज या प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने,

में लेता है; और

(ख) ऐसी कोई समयवधि, जो या तो आवेदक द्वारा उस बैंक खाते, जिसमें प्रतिदाय जमा किया जाना है, के सही ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए या इस प्रकार प्रस्तुत बैंक खाते के ब्यौरों को विधिमान्य करने के लिए ली गई, जहां आवेदक द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते में स्वीकृत प्रतिदाय की रकम जमा नहीं हो सकी थी।”।

15. उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (2) के दोनों परंतुकों का लोप किया जाएगा।

16. उक्त नियमों के नियम 108 के उपनियम (1) में,-

(क) “इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल की जाएगी जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्दों के स्थान पर “इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल की जाएगी” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु अपील प्राधिकारी को कोई अपील सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में शारीरिक रूप से फाइल की जा सकेगी, यदि

(i) आयुक्त इस प्रकार अधिसूचित करे; या

(ii) उसे सामान्य पोर्टल पर उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है उपलब्ध नहीं होने के कारण इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल नहीं की जा सकती है,

और ऐसी दशा में एक अनंतिम पावती अपीलार्थी को तुरंत जारी की जाएगी।”।

17. उक्त नियमों के नियम 109 के उपनियम (1) में

(क) “इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल किया जाएगा जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्दों के स्थान पर “इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु अपील प्राधिकारी को कोई अपील सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में शारीरिक रूप से फाइल की जा सकेगी, यदि

- (i) आयुक्त इस प्रकार अधिसूचित करे; या
- (ii) उसे सामान्य पोर्टल पर उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है उपलब्ध नहीं होने के कारण इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल नहीं की जा सकती है,

और ऐसी दशा में एक अनंतिम पावती अपीलार्थी को तुरंत जारी की जाएगी।”।

18. उक्त नियमों में, नियम 138ड के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“138च. सोने, मूल्यवान पत्थर, आदि के अंतरराज्यीय संचलन की दशा में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना और उनके ई-वे बिलों का जनन.-

(1) जहां-

(क) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर नियम के नियम 138च के उपनियम(1) के अनुसार, नियम 138 के उपनियम (14) से संलग्न उपाबंध की क्रम संख्या 4 और क्रम संख्या 5 के सामने विनिर्दिष्ट माल के अंतरराज्यीय संचलन के संबंध में सूचना प्रस्तुत किए जाने को आज्ञापक बनाता है, और

(ख) ऐसे माल का पारेषण मूल्य दो लाख रुपए से कम न हो, जो राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त, अधिकारितायुक्त प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई केन्द्रीय कर आयुक्त के परामर्श से अधिसूचित करेगा,

नियम 138 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो ऐसे माल का अंतरराज्यीय संचलन करता है,-

- (i) पूर्ति के संबंध में; या
- (ii) पूर्ति से भिन्न कारणों से; या
- (iii) अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के कारण,

उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर ऐसे संचलन के प्रारंभ से पहले ऐसे माल के संबंध में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में यथा विनिर्दिष्ट सूचना इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए एक विशिष्ट संख्या जनित होगी:

परंतु जहां परिवहन किए जाने वाले माल की पूर्ति ई-वाणिज्य प्रचालक या कूरियर अभिकरण के माध्यम से की जाती है, सूचना, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में ऐसे इ-वाणिज्य प्रचालक या कूरियर अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में यथा विनिर्दिष्ट सूचना उपनियम (1) में निर्दिष्ट माल के संचलन की बाबत प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में

सूचना प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, ई-वे बिल प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनित होगी।

(3) प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में दी गई जानकारी सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत प्रदाता को उपलब्ध कराई जाएगी, जो प्ररूप जीएसटीआर-1 में विवरण प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग कर सकेगा।

(4) जहां इस नियम के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है, किन्तु माल या तो परिवहन नहीं किया गया है या ई-वे बिल में दिए गए विवरण के अनुसार परिवहन नहीं किया गया है, तो ई-वे बिल सृजित होने के चौबीस घंटे के भीतर सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रद्द किया जा सकेगा :

परंतु ई-वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकेगा, यदि यह नियम 138ख के उपबंधों के अनुसार अभिवहन में सत्यापित हो चुका हो।

(5) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई ई-वे बिल सृजित करना वहां अपेक्षित नहीं होगा,-

(क) जहां सीमा शुल्क द्वारा निकासी के लिए माल को सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाई अड्डे, एयर कार्गो परिसर और भूमि सीमा शुल्क स्टेशन से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक ले जाया जा रहा है;

(ख) जहां माल परिवहन किया जा रहा है-

(i) एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन से एक सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और भूमि सीमा शुल्क स्टेशन तक, या एक सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क बंदरगाह से दूसरे सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क बंदरगाह तक सीमा शुल्क बांड के अधीन; या

(ii) सीमा शुल्क पर्यवेक्षण के अधीन या सीमा शुल्क मुहर के अधीन।

(6) नियम 138, नियम 138क, नियम 138ख, नियम 138ग, नियम 138घ और नियम 138ङ के उपनियम (10), उप-नियम (11) और उप-नियम (12) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस नियम के अधीन सृजित ई-वे बिल को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण-- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, माल के खेप मूल्य से ऐसा मूल्य अभिप्रेत है जो उक्त खेप के संबंध में, उक्त खेप के संबंध में जारी, यथास्थिति, किसी बीजक, आपूर्ति बिल या परिदत्त बीजक में घोषित, धारा 15 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाए और इसके अंतर्गत दस्तावेज़ में प्रभार्य केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर भी सम्मिलित हैं और इसमें ऐसे माल की छूट वाली आपूर्ति के मूल्य को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जहां माल की छूट और कर योग्य आपूर्ति दोनों के संबंध में बीजक जारी किया गया है।”।

19. उक्त नियमों में, नियम 142क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“142ख. अधिनियम की धारा 79 के अधीन वसूली किए जाने योग्य कतिपय रकम की संसूचना-(1) जहां, नियम 88ग के साथ पठित धारा 75 के अनुसार या अन्यथा, कर या ब्याज की कोई रकम धारा 79 के अधीन वसूली योग्य हो और वह असंदत्त रह गई हो, तो उचित अधिकारी सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01घ में उक्त रकम के ब्यौरे सूचित करेगा, चूक करने वाले व्यक्ति को, रकम का संदाय, यथास्थिति, लागू ब्याज सहित या ब्याज की रकम का संदाय करने का निर्देश देगा। उक्त सूचना की तारीख से सात दिनों के भीतर और उक्त रकम प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01 में इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर के भाग- 22 में पोस्ट की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना को वसूली के लिए नोटिस माना जाएगा।

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में निर्दिष्ट कर या ब्याज की कोई भी रकम उक्त सूचना में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर संदाय नहीं की जाती है, वहां उचित अधिकारी उस रकम की वसूली, जो असंदत्त रह गई है, नियम

143 या नियम 144 या नियम 145 या नियम 146 या नियम 147 या नियम 155 या नियम 156 या नियम 157 या नियम 160 के उपबंधों के अनुसार करेगा।

20. उक्त नियम के नियम 162 में, 1 अक्टूबर, 2023 से --

(क) उपनियम (3) में, "उसके समक्ष कार्यवाही में सहयोग किया है और" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(3क) आयुक्त, नीचे दी गई सारणी के अनुसार उपनियम (3) के अधीन शमनीय रकम अवधारित करेगा: -

क्र.सं.	अपराध	यदि अपराध धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन दंडनीय है तो शमनीय रकम	यदि अपराध धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन दंडनीय है तो शमनीय रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपराध	कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पचहत्तर प्रतिशत तक,	कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के साठ प्रतिशत तक,
2	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट अपराध	ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के न्यूनतम पचास प्रतिशत के अधीन रहते हुए।	ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के न्यूनतम चालीस प्रतिशत के अधीन रहते हुए।
3	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट अपराध		
4	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट अपराध		
5	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध	कर अपवंचन के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम।	कर अपवंचन के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम।
6	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छ) में विनिर्दिष्ट अपराध		
7	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ज) में विनिर्दिष्ट अपराध		
8	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ग) से खंड (च) और खंड खंड (ज) और (झ) में उल्लिखित अपराध करने का प्रयास या अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण	ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम	ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम

परंतु जहां व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट एक से अधिक प्रवर्गों के अधीन आता है, वहां ऐसी दशा में, शमनीय रकम, उस अपराध के लिए अवधारित रकम, जिसके लिए उच्चतर शमनीय रकम विहित की गई है, होगी।

21. उक्त नियमों में, नियम 162 के पश्चात्, 1 अक्टूबर, 2023 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“163. जानकारी का सहमति आधारित साझाकरण.- (1) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित में दी गई जानकारी साझा करने का विकल्प चुनता है-

(क) समय-समय पर यथासंशोधित प्ररूप जीएसटी आरईजी-01;

(ख) कतिपय कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी;

(ग) समय-समय पर यथासंशोधित, उसके द्वारा जारी बीजकों, नामे नोट और जमापत्र से संबंधित कुछ कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर -1,

धारा 158क (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुरोध प्रणाली" कहा गया है) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रणाली के साथ, अनुरोध करने वाली प्रणाली ऐसी जानकारी साझा करने के लिए उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की सहमति अभिप्राप्त करेगी और सामान्य पोर्टल पर कर अवधि व्यौरों सहित सहमति संसूचित करेगी।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1) के खंड (ग) के अधीन जानकारी साझा करने के लिए अपनी सहमति अनुरोधकर्ता प्रणाली के साथ ऐसी जानकारी साझा करने के लिए केवल तभी देगा जब वह उन सभी प्राप्तकर्ताओं की सहमति प्राप्त कर लेगा, जिन्हें उसने उक्त कर अवधि के दौरान बीजक, जमापत्र और नामे नोट जारी किए हैं और जहां वह अपनी सहमति प्रदान करता है, वहां ऐसे प्राप्तकर्ताओं की सहमति प्राप्त की गई मानी जाएगी।

(3) सामान्य पोर्टल उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट जानकारी उक्त प्रणाली से प्राप्त होने पर अनुरोधकर्ता प्रणाली के साथ संचार करेगा-

(क) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की सहमति; और

(ख) यथास्थिति, कर अवधि या प्राप्तकर्ताओं का विवरण, जिसके संबंध में जानकारी अपेक्षित है।

22. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-3क में, अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" या

वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर व्यतिक्रमी को धारा 46 के अधीन विवरणी भरने का नोटिस

वित्तीय वर्ष - विवरणी का प्रकार : जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9क

एक रजिस्ट्रीकृत करदाता होने के कारण, आपको की गई या प्राप्त की गई आपूर्ति के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना होगा और/या उपरोक्त वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक स्व-प्रमाणित सुलह विवरण शामिल करना होगा। उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख समाप्त हो गई है और यह देखा गया है कि आपने आज तक उक्त विवरणी फाइल की है।

2. अतः, आपसे अनुरोध है कि आप 15 दिनों के भीतर उक्त विवरणी फाइल करें, जिसके न होने पर, विधि के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने सहित उचित कार्रवाई की जाएगी।

3. यदि ऊपर उल्लिखित विवरणी, शास्ति कार्यवाही का कारण बताओ नोटिस जारी होने से पहले आपके द्वारा फाइल की गई है, तो यह नोटिस वापस ले लिया गया माना जाएगा।

4. यह एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। "

23. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-5क में, 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त,--

(i) शीर्षक में, "ऑनलाइन जानकारी और डाटा बेस अभिगमन का प्रदाय या भारत में और कराधेय व्यक्ति से पुनः प्राप्ति सेवाओं के ब्यौरे "शब्दों के स्थान पर," भारत से बाहर अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता (एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में यथा परिभाषित) और भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को ऑनलाइन जानकारी और डाटा बेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति के ब्यौरे" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"4. अवधि: महीना - वर्ष"

4(क) एआरएन :

4(ख) एआरएन की तारीख :" ;

(iii) क्रम संख्या 5 में, "उपभोक्ता" शब्द के स्थान पर, "गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) क्रम संख्या 5क में, "व्यक्तियों" शब्द के स्थान पर, "ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) क्रम संख्या 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"5ख. गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त, भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई कराधेय बाहरी आपूर्ति, जिस पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ती भार के आधार पर कर का भुगतान किया जाना है।

(ख) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"4.1. अरजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की गई आपूर्ति के विवरण में संशोधन

मूल विवरण			संशोधित विवरण		
मास	आपूर्तिकर्ता का नामांकन संख्या	आपूर्तिकर्ता का नामांकन संख्या	की गई आपूर्ति का सकल मूल्य	लौटाई गई आपूर्ति का मूल्य	आपूर्ति का शुद्ध मूल्य
1	2	3	4	5	6
					"।

25. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, 'अनुदेश' शीर्षक के अधीन,--

(क) पैरा 4 में,---

(अ) "या वित्तीय वर्ष 2021-22" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या वित्तीय वर्ष 2022-23" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) सारणी के दूसरे स्तंभ में,--

(i) क्रम संख्या 5घ, 5ङ और 5च के सामने, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

'वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को गैर-जीएसटी आपूर्ति (5च) की अलग से रिपोर्ट करनी होगी और उसके पास अपनी आपूर्ति को छूट प्राप्त और शून्य रेटेड आपूर्ति के रूप में अलग से रिपोर्ट करने का विकल्प होगा या केवल "छूट" पंक्ति में इन दोनों शीर्षों के लिए समेकित जानकारी की रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।';

(II) क्रम संख्या 5ज, 5झ और 5ज और 5ट के सामने, "2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्द के स्थान पर, क्रमशः "2020-21, 2021-22 और 2022-23" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 5 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में,--

(अ) क्रम संख्या 6ख, 6ग, 6घ और 6ङ के सामने, "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22", शब्दों और अंकों के स्थान पर, क्रमशः "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के सामने, "2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2020-21, 2021-22 और 2022-23" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) पैरा 7 में,--

(अ) "30 नवंबर, 2022 तक फाइल" अंकों और शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, भाग V में पिछले वित्तीय वर्ष के लेनदेन का विवरण शामिल है, लेकिन अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक 30 नवंबर, 2023 तक फाइल किए गए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में भुगतान किया गया है।";

(आ) सारणी के दूसरे स्तंभ में,--

(I) क्रम सं. 10 एवं 11 के सामने, अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले से घोषित किसी भी आपूर्ति में परिवर्धन या संशोधन का विवरण, लेकिन ऐसे संशोधन अप्रैल, 2023 के प्ररूप जीएसटीआर1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे। अक्टूबर, 2023 से 30 नवंबर, 2023 तक फाइल की गई जानकारी यहां घोषित की जाएगी।";

(II) क्रम संख्या 12 के सामने, -

(i) "30 नवंबर, 2022 तक" अंकों और शब्दों के पश्चात् यहां घोषित किया जाएगा। इन विवरणों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकता है।", निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, आईटीसी के उलटाव के संकलित मूल्य जो पिछले वित्तीय वर्ष में लिया गया था, किंतु अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 के महीनों के लिए 30 नवंबर, 2023 तक विवरणी में उलटाव किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (ख) का इन व्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है।"

(ii) "2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2020-21, 2021-22 और 2022-23" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने, -

(i) "वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनः दावा करने, ऐसे दावा किए गए आईटीसी के व्यौरे वार्षिक विवरणी वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत किया जाएगा" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

पिछले वित्तीय वर्ष में, प्राप्त माल और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, किंतु अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 के महीनों के लिए 30 नवंबर, 2023 तक फाइल किए गए विवरणी में आईटीसी का लाभ उठाया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का उपयोग किया जा सकता है। तथापि, कोई भी आईटीसी जो धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे उपबंध के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में उलट दिया गया था, किंतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः दावा किया गया था, ऐसे पुनः दावा किए गए आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक विवरणी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।”;

(ii) “2020-21 और 2021-22” अंकों और शब्दों के स्थान पर “2020-21, 2021-22 और 2022-23 अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में,-

(क) (1) 15क, 15ख, 15ग, और 15घ ; और

(2) 15ङ, 15च और 15छ

क्रम संख्या के सामने,-

“2020-21 और 2021-22” अंकों और शब्दों के स्थान पर क्रमशः “2020-21, 2021-22 और 2022-23 अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे।”;

(ख) क्रमसंख्यांक 16क, 16ख और 16ग के सामने “2020-21 और 2021-22” शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर क्रमशः “2020-21, 2021-22 और 2022-23 अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे।”;

(ग) क्रम संख्यांक 17 और 18 के सामने “वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ” शब्द, अक्षर और आंकड़ों के स्थान पर “वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए” शब्द अक्षर और आंकड़े रखे जाएंगे।

26. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटीआर -9ग में,-

(i) भाग क में सारणी में

(क) क्रमसंख्या 9 में, ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“ख- 1	6%					।”;
----------	----	--	--	--	--	-----

(ख) क्रम संख्या 11 में, वर्णन “5%” के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,-

“6%						।”;
-----	--	--	--	--	--	-----

(ग) भाग 5 में वर्णन “5%” के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, :-

“6%						।”;
-----	--	--	--	--	--	-----

(ii) ‘अनुदेश’ शीर्ष के अधीन,-

(क) पैरा 4 में सारणी में, दूसरे स्तंभ में क्रम संख्या 5ख के सामने “2020-21 और 2021-22” के स्थान पर, “2020-21, 2021-22 और 2022-23” आंकड़े और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 6 में सारणी में, दूसरे स्तंभ में क्रम संख्या 14 के सामने "2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2020-21, 2021-22 और 2022-23" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

27. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में, उपाबंध 1 में विवरण-साक्ष्य के अधीन सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

“

क्र.स.	दस्तावेज/बीजक के ब्यौरे			संदत्त रकम के ब्यौरे						दावा किए गए रिफंड के ब्यौरे					
	दस्तावेज का प्रकार	क्षेत्र सं.	तारीख	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/सं. राज्य क्षेत्र कर	उपकर	व्याज	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/सं. राज्य क्षेत्र कर	उपकर	व्याज	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

28. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग

[नियम 88घ देखें]

भाग - क (प्रणाली जनित)

इनपुट कर प्रत्यय और विवरणी में उपभोग किए जाने वाले ब्यौरे में अंतर्विष्ट स्वतः जनित कथन में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय में अंतर की जानकारी

निर्देश संख्या:

तारीख:

जीएसटीआईएन

विधिक नाम :

1. यह देखा गया है कि आपके द्वारा विवरणी में उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उपयोग करते हुए, रुपए की रकम द्वारा <> से <> तक की अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-2ख में आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे में अंतर्विष्ट स्वतःजनित विवरण के अनुसार आपके लिए इनपुट कर प्रत्यय की उपलब्ध रकम अधिक है। जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, -

प्ररूप प्रकार	उपलब्ध/उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय (रुपए में)				
	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटी जीएसटी	उपकर	कुल
प्ररूप जीएसटीआर-2ख					
प्ररूप जीएसटीआर-3ख					
अधिक उपभोग किया गया निवेश कर क्रेडिट					

2. नियम 88घ के उपनियम (1) के अनुसार, आपसे अनुरोध किया जाता है कि या तो धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ उक्त अंतर इनपुट कर प्रत्यय का भुगतान प्ररूप जीएसटी डीआरसी -03 के माध्यम से करें प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग-ख में उसके ब्यौरे प्रस्तुत करें, और/या प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 01ग के भाग-ख में उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें अंतर इनपुट कर प्रत्यय के उस हिस्से के संबंध में कारणों को सम्मिलित किया गया है, जो सात दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है।
3. यह ध्यान दिया जाए कि जहां इनपुट कर प्रत्यय की कोई राशि सात दिनों की अवधि के पूर्णहोने के पश्चात् भुगतान नहीं की जाती है और जहां आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां आपके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण या कारण समुचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, यथास्थिति, उक्त राशि उस अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार वसूल की गई समझी जाएगी।
4. यह एक प्रणाली जनित सूचना है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

भाग- ख

इनपुट कर प्रत्यय में अंतर की सूचना के संबंध में करदाता द्वारा उत्तर सूचना की निर्देशसंख्या:

तारीख

अ. मैंने, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग क में यथाविनिर्दिष्ट आधिक्य इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य रकम का, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित, पूर्णतः या भागतः, संदाय कर दिया है तथा उसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 का एआरएन	शीर्ष के अधीन संदाय	कर अवधि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	उपकर	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8

और/या

आ. आधिक्य इनपुट कर प्रत्यय के उस भाग के संबंध में कारण, जो संदत्त किया जाना बाकी है, निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	अंतर के संक्षिप्त कारण	ब्यौरे (बाध्यकारी)
1	उक्त कर अवधि में (जिसके अंतर्गत किशतों में माल की प्राप्ति संबंधी मामला भी है) मालों या सेवाओं की आवक आपूर्ति के प्राप्त न होने के कारण पूर्ववर्ती कर अवधि(यों) में उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
2	अनावधानता या त्रुटि या लोप के कारण पूर्ववर्ती कर अवधि(यों) में उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
3	ऐसे माल के, जो प्ररूप जीएसटी 2ख में दर्शित नहीं है, आयात के संबंध में उपयोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
4	एसईजेड से आवक आपूर्ति, जो प्ररूप जीएसटी 2ख में दर्शित नहीं है, के संबंध में उपयोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय	

5	पूर्ववर्ती कर अवधियों में प्रतिवर्ती इनपुट कर प्रत्यय का आधिक्य, जिसका चालू कर अवधि में पुनः दावा किया जा रहा है	
6	आपूर्तिकर्ता को पूर्ववर्ती कर अवधि में, नियम 37 के अनुसार प्रतिवर्तित इनपुट कर प्रत्यय के संबंध में किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का पुनः प्रत्यय	
7	आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती कर अवधि में, नियम 37क के अनुसार प्रतिवर्तित इनपुट कर प्रत्यय के संबंध में विवरणी फाइल करने पर इनपुट कर प्रत्यय का पुनः प्रत्यय	
8	गलत ब्यौरों के साथ फाइल किया गया प्ररूप जीएसटी 3ख और उसे अगली कर अवधि में संशोधित किया जाएगा (जिसमें टंकन संबंधी गलतियां, गलत कर दर, आदि सम्मिलित हैं)	
9	कोई अन्य कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

सत्यापन

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और यह घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम/प्रास्थिति :

स्थान :

तारीख :

प्ररूप जीएसटी डीआरसी 01घ

(नियम 142ख देखें)

धारा 79 के अधीन वसूलनीय रकम की सूचना

निर्देश सं :

तारीख :

1. सूचना के ब्यौरे :

(क) वित्तीय वर्ष :

(ख) कर अवधि : से तक

2. अधिनियम की धारा(एं) या नियम, जिनके अधीन सूचना जारी की जाती है : धारा 79 के साथ पठित धारा 75(12) के लिए ड्रॉप डाउन या चेक बॉक्स प्रदान किया जाए

3. संदेय कर, ब्याज या किसी रकम के ब्यौरे :

(रकम, रुपए में)

कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (आपूर्ति का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग									

आपको सात दिवस के भीतर संदाय करने के लिए निदेश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर अधिनियम की धारा 79 के उपबंधों के अनुसार बकाया की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

अधिकारिता :

पता :

सेवा में

जीएसटीआईएन/आईडी

नाम :

पता :

टिप्पण :

1. केवल लागू खंड भरे जाएं।”

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

टिप्पण--मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 3/2017(अ)-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं0 247(अ), तारीख 31 मार्च, 2023 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 04/2023(अ)-केन्द्रीय कर, तारीख 31 मार्च, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2023

No. 38/2023- Central Tax

G.S.R. 590(E).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, in sub-rule (1), in the proviso, in the longline, the words “in the presence of the said person” shall be omitted.

3. In the said rules, in rule 10A, for the portion beginning with the words and figure “as soon as may be, but not later than forty-five days” and ending with the words “in order to comply with any other provision” the following shall be substituted, namely:-

“within a period of thirty days from the date of grant of registration, or before furnishing the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using invoice furnishing facility, whichever is earlier, furnish information with respect to details of bank account on the common portal”.

4. In the said rules, in rule 21A, –

(i) for sub-rule (2A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2A) Where,-

(a) a comparison of the returns furnished by a registered person under section 39 with the details of outward supplies furnished in FORM GSTR-1 or the details of inward supplies derived based on the details of outward supplies furnished by his suppliers in their FORM GSTR-1, or such other analysis, as may be carried out on the recommendations of the Council, show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder, leading to cancellation of registration of the said person, or

(b) there is a contravention of the provisions of rule 10A by the registered person,

the registration of such person shall be suspended and the said person shall be intimated in **FORM GST REG-31**, electronically, on the common portal, or by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said differences, anomalies or non-compliances and asking him to explain, within a period of thirty days, as to why his registration shall not be cancelled.”;

(ii) in sub-rule (4), after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided also that where the registration has been suspended under sub-rule (2A) for contravention of provisions of rule 10A and the registration has not already been cancelled by the proper officer under rule 22, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon compliance with the provisions of rule 10A.”.

5. In the said rules, in rule 23, in sub-rule (1), with effect from the 1st day of October, 2023,–

(a) for the part beginning with the words “within a period of thirty days” and ending with the words and figures “section 30”, the words “within a period of ninety days from the date of the service of the order of cancellation of registration” shall be substituted;

(b) in the first proviso, for the words “Provided that”, the following shall be substituted, namely: –

“Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended by the Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, not below the rank of Additional Commissioner or Joint Commissioner, as the case may be, for a further period not exceeding one hundred and eighty days:

Provided further that”;

(c) in the second proviso, for the words “Provided further”, the words “ Provided also” shall be substituted.

6. In the said rules, for rule 25, the following rule shall be substituted, namely: –

“25. Physical verification of business premises in certain cases. –

(1) Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a person is required after the grant of registration, he may get such verification of the place of business done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in **FORM GST REG-30** on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification.

(2) Where the physical verification of the place of business of a person is required before the grant of registration in the circumstances specified in the proviso to sub-rule (1) of rule 9, the proper officer shall get such verification of the place of business done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in **FORM GST REG-30** on the common portal at least five working days prior to the completion of the time period specified in the said proviso.”.

7. In the said rules, in rule 43, after sub-rule (5), –

(a) in *Explanation 1*, clause (c) shall be omitted;

(b) after *Explanation 2*, with effect from the 1st day of October, 2023, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

“*Explanation 3*:- For the purpose of rule 42 and this rule, the value of activities or transactions mentioned in sub-paragraph (a) of paragraph 8 of Schedule III of the Act which is required to be included in the value of exempt supplies under clause (b) of the *Explanation* to sub-section (3) of section 17 of the Act shall be the value of supply of goods from Duty Free Shops at arrival terminal in international airports to the incoming passengers.”.

8. In the said rules, in rule 46, in clause (f), in the proviso, for the words “name and address of the recipient along with its PIN code and the name of the State and the said address shall be deemed to be the address on record of the recipient”, the following words “name of the state of the recipient and the same shall be deemed to be the address on record of the recipient” shall be substituted;

9. In the said rules, in rule 59, in sub-rule (6), after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(e) a registered person, to whom an intimation has been issued on the common portal under the provisions of sub-rule (1) of rule 88D in respect of a tax period or periods, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility for a subsequent tax period, unless he has either paid the amount equal to the excess input tax credit as specified in the said intimation or has furnished a reply explaining the reasons in respect of the amount of excess input tax credit that still remains to be paid, as required under the provisions of sub-rule (2) of rule 88D;

(f) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the details of the bank account as per the provisions of rule 10A.”.

10. In the said rules, in rule 64, with effect from the 1st day of October, 2023, for the words “person in India other than”, the words “non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or to” shall be substituted.

11. In the said rules, in rule 67, in sub-rule (2), with effect from the 1st day of October, 2023, for the portion beginning with the words “The details” and ending with the words “suppliers”, the words “The details of tax collected at source under sub-section (1) of section 52 furnished by the operator under sub-rule (1) shall be made available electronically to each of the registered suppliers” shall be substituted.

12. In the said rules, after rule 88C, the following rule shall be inserted, namely:-

“88D. Manner of dealing with difference in input tax credit available in auto-generated statement containing the details of input tax credit and that availed in return.-

(1) Where the amount of input tax credit availed by a registered person in the return for a tax period or periods furnished by him in FORM GSTR-3B exceeds the input tax credit available to such person in accordance with the auto-generated statement containing the details of input tax credit in FORM GSTR-2B in respect of the said tax period or periods, as the case may be, by such amount and such percentage, as may be recommended by the Council, the said registered person shall be intimated of such difference in Part A of FORM GST DRC-01C, electronically on the common portal, and a copy of such intimation shall also be sent to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said difference and directing him to—

(a) pay an amount equal to the excess input tax credit availed in the said FORM GSTR-3B, along with interest payable under section 50, through FORM GST DRC-03, or

(b) explain the reasons for the aforesaid difference in input tax credit on the common portal,

within a period of seven days.

(2) The registered person referred to sub-rule (1) shall, upon receipt of the intimation referred to in the said sub-rule, either,

(a) pay an amount equal to the excess input tax credit, as specified in Part A of FORM GST DRC-01C, fully or partially, along with interest payable under section 50, through FORM GST DRC-03

and furnish the details thereof in Part B of FORM GST DRC-01C, electronically on the common portal, or

(b) furnish a reply, electronically on the common portal, incorporating reasons in respect of the amount of excess input tax credit that has still remained to be paid, if any, in Part B of FORM GST DRC-01C,

within the period specified in the said sub-rule.

(3) Where any amount specified in the intimation referred to in sub-rule (1) remains to be paid within the period specified in the said sub-rule and where no explanation or reason is furnished by the registered person in default or where the explanation or reason furnished by such person is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be liable to be demanded in accordance with the provisions of section 73 or section 74, as the case may be.”.

13. In the said rules, in rule 89,-

(a) in sub-rule (1), in third proviso, for the words “in the last return required to be furnished by him” the words “only after the last return required to be furnished by him has been so furnished” shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), in clause (k), after the words “payment of tax” the words “and interest, if any, or any other amount paid” shall be inserted.

14. In the said rules, rule 94 shall, with effect from the 1st day of October, 2023, be renumbered as sub-rule (1) and after the sub-rule as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2) The following periods shall not be included in the period of delay under sub-rule (1), namely:-

(a) any period of time beyond fifteen days of receipt of notice in FORM GST RFD-08 under sub-rule (3) of rule 92, that the applicant takes to-

(i) furnish a reply in FORM GST RFD-09, or

(ii) submit additional documents or reply;

and

(b) any period of time taken either by the applicant for furnishing the correct details of the bank account to which the refund is to be credited or for validating the details of the bank account so furnished, where the amount of refund sanctioned could not be credited to the bank account furnished by the applicant.”.

15. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (2), both the provisos shall be omitted.

16. In the said rules, in rule 108, in sub-rule (1), –

(a) for the words “either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner”, the word “electronically” shall be substituted;

(b) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that an appeal to the Appellate Authority may be filed manually in FORM GST APL-01, along with the relevant documents, only if-

(i) the Commissioner has so notified, or

(ii) the same cannot be filed electronically due to non-availability of the decision or order to be appealed against on the common portal,

and in such case, a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.”.

17. In the said rules, in rule 109, in sub-rule (1),–

(a) for the words “either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner”, the word “electronically” shall be substituted;

(b) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that an appeal to the Appellate Authority may be filed manually in FORM GST APL-03, along with the relevant documents, only if-

(i) the Commissioner has so notified, or

(ii) the same cannot be filed electronically due to non-availability of the decision or order to be appealed against on the common portal,

and in such case, a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.”.

18. In the said rules, after rule 138E, the following rule shall be inserted, namely:-

“138F. Information to be furnished in case of intra-State movement of gold, precious stones, etc. and generation of e-way bills thereof.-

(1) Where-

(a) a Commissioner of State tax or Union territory tax mandates furnishing of information regarding intra-State movement of goods specified against serial numbers 4 and 5 in the Annexure appended to sub-rule (14) of rule 138, in accordance with sub-rule (1) of rule 138F of the State or Union territory Goods and Services Tax Rules, and

(b) the consignment value of such goods exceeds such amount, not below rupees two lakhs, as may be notified by the Commissioner of State tax or Union territory tax, in consultation with the jurisdictional Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner of Central Tax, or any Commissioner of Central Tax authorised by him,

notwithstanding anything contained in Rule 138, every registered person who causes intra-State movement of such goods, -

- (i) in relation to a supply; or
- (ii) for reasons other than supply; or
- (iii) due to inward supply from an un-registered person,

shall, before the commencement of such movement within that State or Union territory, furnish information relating to such goods electronically, as specified in Part A of FORM GST EWB-01, against which a unique number shall be generated:

Provided that where the goods to be transported are supplied through an e-commerce operator or a courier agency, the information in Part A of FORM GST EWB-01 may be furnished by such e-commerce operator or courier agency.

(2) The information as specified in PART B of FORM GST EWB-01 shall not be required to be furnished in respect of movement of goods referred to in the sub-rule (1) and after furnishing information in Part-A of FORM GST EWB-01 as specified in sub-rule (1), the e-way bill shall be generated in FORM GST EWB-01, electronically on the common portal.

(3) The information furnished in Part A of FORM GST EWB-01 shall be made available to the registered supplier on the common portal who may utilize the same for furnishing the details in FORM GSTR-1.

(4) Where an e-way bill has been generated under this rule, but goods are either not transported or are not transported as per the details furnished in the e-waybill, the e-way bill may be cancelled, electronically on the common portal, within twenty-four hours of generation of the e-way bill:

Provided that an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with the provisions of rule 138B.

(5) Notwithstanding anything contained in this rule, no e-way bill is required to be generated-

(a) where the goods are being transported from the customs port, airport, air cargo complex and land customs station to an inland container depot or a container freight station for clearance by Customs;

(b) where the goods are being transported-

(i) under customs bond from an inland container depot or a container freight station to a customs port, airport, air cargo complex and land customs station, or from one customs station or customs port to another customs station or customs port, or

(ii) under customs supervision or under customs seal.

(6) The provisions of sub-rule (10), sub-rule (11) and sub-rule (12) of rule 138, rule 138A, rule 138B, rule 138C, rule 138D and rule 138E shall, *mutatis mutandis*, apply to an e-way bill generated under this rule.

Explanation.- For the purposes of this rule, the consignment value of goods shall be the value, determined in accordance with the provisions of section 15, declared in an invoice, a bill of supply or a delivery challan, as the case may be, issued in respect of the said consignment and also includes the central tax, State tax or Union territory tax charged in the document and shall exclude the value of exempt supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods.”.

19. in the said rules, after rule 142A, the following rule shall be inserted, namely:-

“142B. Intimation of certain amounts liable to be recovered under section 79 of the Act.-(1) Where, in accordance with section 75 read with rule 88C, or otherwise, any amount of tax or interest has become recoverable under section 79 and the same has remained unpaid, the proper officer shall intimate, electronically on the common portal, the details of the said amount in **FORM GST DRC-01D**, directing the person in default to pay the said amount, along with applicable interest, or, as the case may be the amount of interest, within seven days of the date of the said intimation and the said amount shall be posted in Part-II of Electronic Liability Register in **FORM GST PMT-01**.

(2) The intimation referred to in sub-rule (1) shall be treated as the notice for recovery.

(3) Where any amount of tax or interest specified in the intimation referred to in sub-rule (1) remains unpaid on the expiry of the period specified in the said intimation, the proper officer shall proceed to recover the amount that remains unpaid in accordance with the provisions of rule 143 or rule 144 or rule 145 or rule 146 or rule 147 or rule 155 or rule 156 or rule 157 or rule 160.”

20. In the said rules, in rule 162, with effect from the 1st day of October, 2023, –

(a) in sub-rule (3), the words “has cooperated in the proceedings before him and” shall be omitted;

(b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3A) The Commissioner shall determine the compounding amount under sub-rule (3) as per the Table below:-

TABLE

S.No.	Offence	Compounding amount if offence is punishable under clause (i) of sub-section (1) of section 132	Compounding amount if offence is punishable under clause (ii) of sub-section (1) of section 132
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Offence specified in clause (a) of sub-section (1) of section 132 of the Act	Up to seventy-five per cent of the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken, subject to minimum of fifty per cent of such amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken.	Up to sixty per cent of the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken, subject to minimum of forty per cent of such amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken.
2	Offence specified in clause (c) of sub-section (1) of section 132 of the Act		
3	Offence specified in clause (d) of sub-section (1) of section 132 of the Act		
4	Offence specified in clause (e) of sub-section (1) of section 132 of the Act		
5	Offence specified in clause (f) of sub-section (1) of section 132 of the Act	Amount equivalent to twenty-five per cent of tax evaded.	Amount equivalent to twenty-five per cent of tax evaded.
6	Offence specified in clause (h) of sub-section (1) of section 132 of the Act		
7	Offence specified in clause (i) of sub-section (1) of section 132 of the Act		

8	Attempt to commit the offences or abets the commission of offences mentioned in clause (a), (c) to (f) and clauses (h) and (i) of sub-section (1) of section 132 of the Act	Amount equivalent to twenty-five per cent of such amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken.	Amount equivalent to twenty-five per cent of such amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken.
---	---	---	---

Provided that where the offence committed by the person falls under more than one category specified in the Table above, the compounding amount, in such case, shall be the amount determined for the offence for which higher compounding amount has been prescribed.”.

21. In the said Rules, after rule 162, with effect from the 1st day of October, 2023, the following rule, shall be inserted, namely:-

“163. Consent based sharing of information.- (1) Where a registered person opts to share the information furnished in—

- (a) FORM GST REG-01 as amended from time to time;
- (b) return in FORM GSTR-3B for certain tax periods;
- (c) FORM GSTR-1 for certain tax periods, pertaining to invoices, debit notes and credit notes issued by him, as amended from time to time,

with a system referred to in sub-section (1) of section 158A (hereinafter referred to as “requesting system”), the requesting system shall obtain the consent of the said registered person for sharing of such information and shall communicate the consent along with the details of the tax periods, where applicable, to the common portal.

(2) The registered person shall give his consent for sharing of information under clause (c) of sub-rule (1) only after he has obtained the consent of all the recipients, to whom he has issued the invoice, credit notes and debit notes during the said tax periods, for sharing such information with the requesting system and where he provides his consent, the consent of such recipients shall be deemed to have been obtained.

(3) The common portal shall communicate the information referred to in sub-rule (1) with the requesting system on receipt from the said system-

- (a) the consent of the said registered person, and
- (b) the details of the tax periods or the recipients, as the case may be, in respect of which the information is required.”.

22. In the said rules, in FORM GSTR-3A, the following shall be inserted at the end, namely:-

“

Or

Notice to return defaulter u/s 46 for not filing annual return

Financial year-

Type of Return –GSTR-9/GSTR-9A

Being a registered taxpayer, you are required to furnish annual return for the supplies made or received and/or to include self-certified reconciliation statement for the aforesaid financial year by due date. The due date specified for filing annual return for the said financial year is over and it has been noticed that you have not filed the said return till date.

2. You are, therefore, requested to furnish the said return within 15 days failing which appropriate action including imposition of penalty as per law will be taken.

3. This notice shall be deemed to have been withdrawn in case the return referred above, is filed by you before issue of the show cause notice of penalty proceeding.

4. This is a system generated notice and does not require signature.”.

23. In the said rules, in FORM GSTR-5A, with effect from 1st day of October, 2023;—

(i) in the heading, for the words “persons in India”, the words, brackets and figure “**online recipient (as defined in Integrated Goods and Services Tax Act, 2017) and to registered persons in India**” shall be substituted;

(ii) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“4. Period: Month - _____ Year –

4(a) ARN:

4(b) Date of ARN:”;

(iii) in serial number 5, for the word “consumers”, the words “non-taxable online recipient” shall be substituted;

(iv) in serial number 5A, for the word “persons”, the words “online recipient” shall be substituted;

(v) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:

“5B. Taxable outward supplies made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

(Amount in Rupees)

GSTIN	Taxable Value
1	2

5C. Amendments to the taxable outward supplies made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

(Amount in Rupees)

Month	Original GSTIN	Revised GSTIN	Taxable value
1	2	3	4

24. In the said rules, in **FORM GSTR-8**, with effect from the 1st day of October, 2023,-

(a) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries, shall be inserted, namely;-

“**3.1. Details of supplies made through e-commerce operator by un-registered suppliers**

Enrolment no. of supplier	Gross value of supplies made	Value of supplies returned	Net value of the supplies
1	2	3	4

(c) after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries , shall be inserted, namely;-

“4.1. Amendments to details of supplies made through e-commerce operator by unregistered suppliers

Original details			Revised details		
Month	Enrolment no. of supplier	Enrolment no. of supplier	Gross value of supplies made	Value of supply returned	Net value of the supplies
1	2	3	4	5	6

”.

25. In the said rules, in **FORM GSTR-9**, under the heading ‘Instructions’, -

(a) in paragraph 4, -

(A) after the word, letters and figures “or FY 2021-22”, the word, letters and figures “or FY 2022-23” shall be inserted;

(B) in the Table, in second column, -

(I) against serial numbers 5D, 5E and 5F, the following entries shall be inserted at the end, namely: -

‘For FY 2022-23, the registered person shall report Non-GST supply (5F) separately and shall have an option to either separately report his supplies as exempted and nil rated supply or report consolidated information for these two heads in the “exempted” row only.’;

(II) against serial numbers 5H, 5-I and 5J & 5K, for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall respectively be substituted;

(b) in paragraph 5, in the Table, in second column, -

(A) against serial numbers 6B, 6C, 6D and 6E, for the letters and figures “FY 2019-20, 2020-21 and 2021-22”, the letters, figures and word “FY 2019-20, 2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall respectively be substituted;

(B) against serial numbers 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H, for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall be substituted;

(c) in paragraph 7, -

(A) after the words and figures “filed upto 30th November, 2022.”, the following words, figures and letters shall be inserted, namely: -

“For FY 2022-23, Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the **FORM GSTR-3B** of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023.”;

(B) in the Table, in second column, -

(I) against serial numbers 10 & 11, the following shall be inserted at the end, namely: -

“For FY 2022-23, details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of **FORM GSTR-1** of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023 shall be declared here.”;

(II) against serial number 12, -

(i) after the words, figures and brackets “upto 30th November, 2022 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details.”, the following shall be inserted, namely: -

“For FY 2022-23, aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details.”;

(ii) for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall be substituted;

(III) against serial number 13, -

(i) after the words, letters and figures “reclaimed in FY 2022-23, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2022-23,”, the following shall be inserted, namely: -

“For FY 2022-23, details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023 shall be declared here. Table 4(A) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2022-23 as per second proviso to sub-section (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2023-24, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2023-24.”;

(ii) for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall be substituted;

(d) in paragraph 8, in the Table, in second column, -

(A) against serial numbers, -

(I) 15A, 15B, 15C and 15D; and

(II) 15E, 15F and 15G,

for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the letters, figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall respectively be substituted.”;

(B) against serial numbers 16A, 16B and 16C, for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall respectively be substituted.”;

(C) against serial number 17 & 18, for the word, letter and figures “For FY 2021-22”, the words, letter and figures “For FY 2021-22 and 2022-23” shall be substituted.”.

26. In the said rules, in **FORM GSTR-9C**, -

(i) in Part A, in the table -

(a) in Sl no. 9, after B and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

“B-1	6%					.”;
------	----	--	--	--	--	-----

(b) in Sl no. 11, after description “5%”, the following shall be inserted, namely: -

“6%						.”;
-----	--	--	--	--	--	-----

(c) in Pt. V, after description “5%”, the following shall be inserted, namely: -

“6%						.”;
-----	--	--	--	--	--	-----

(ii) under the heading ‘Instructions’, -

(a) in paragraph 4, in the Table, in second column, against serial no. 5B, for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall be substituted;

(b) in paragraph 6, in the Table, in second column, against serial number 14, for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall be substituted.

You are hereby directed to make the payment within seven days failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues as per the provisions of section 79 of the Act.

Signature:
Name:
Designation:
Jurisdiction:
Address:

To,
GSTIN/ID
Name
Address

Note -

1. Only applicable fields may be filled up.”

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and were last amended *vide* notification No. 04/2023 - Central Tax, dated the 31st March, 2023 *vide* number G.S.R. 247(E), dated the 31st March, 2023.